प्रेस नोट 01- दिनांक 07.06.2024
थाना फतेहपुर चौरासी,जनपद उन्नाव ।

चोरी के मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद चोरी का मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 07.06.2024 को उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2024 धारा- 380 भादवि बनाम सुधीर पुत्र गोकरन पाल नि0 ग्राम शिवपुरी थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष में वांछित अभियुक्त सुधीर उपरोक्त को बजे ग्राम शिवपुरी से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0दं0वि0 की बढ़ोत्तरी की गई।

अभियुक्त का विवरण

सुधीर पुत्र गोकरन पाल नि0 शिवपुरी थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष ।

अभियुक्त के कब्जे से बरामद

चोरी का एक अदद मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.उ0नि0 राकेश कुमार सिंह
2. का0 अंकित यादव
3.का0 आकाश सिंह

प्रेस नोट 02- दिनांक 07.06.2024
जनपद उन्नाव ।

तीन वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस एवं थाना हसनगंज पुलिस द्वारा तीन वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना सफीपुर- आज दिनांक 07.06.2024 को थाना सफीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त पवन कुमार पुत्र भगवानदीन निवासी मो0 सरायसूबेदार कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र लगभग 39 वर्ष सम्बन्धित मु0नं0 546/2022 धारा 125(3) सीआरपीसी थाना एफ 84 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हसनगंज- आज दिनांक 07.06.2024 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. फूलचंद्र पुत्र शिवराज नि0 सैरपुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव संबन्धित मु0नं0 218/23 धारा 125(3) सीआरपीसी 2. विजय पुत्र कालीचरन नि0 ऊंचद्वार थाना हसनगंज जनपद उन्नाव सम्बन्धित मु0नं0 1715/20 धारा 138 बी ईसी एक्ट को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।